संख्याः 680/79–6–2013–1(6)2000टीसीvii

प्रेषक,

नीतीश्वर कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, बांदा, चन्दौली, चित्रकूल, देवरिया, एटा, फैजाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हाथरस, इटावा, जालौन, कानपुर नगर, कांसगंज, ललितपुर, महोबा, पीलीभीत, सहारनपुर, श्रावस्ती व सुल्तानपुर।

शिक्षा अनुभाग –6 लखनऊः दिनांकः 08 नवम्बर, 2013

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड/एन0जी0ओ0 के स्तर पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की वसूली के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/727/2013–14 दिनांक 08 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या–149/79–6–04–1(6)/2000 टी0सी0–3 दिनांक 25–6–04, संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000 टी0सी0–3 दिनांक 23–07–04 तथा शासनादेश संख्या–978/79–6–2011–1(6)2000टीसीvii दिनांक 6 जुलाई, 2011 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25–6–04 तथा दिनांक 23–07–04 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु आदेश निर्गत किए गये हैं । वित्तीय वर्ष 2008–09 से योजना का विस्तारीकरण प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी किया गया है।

3– जनपद स्तर पर योजना संचालन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न समिति का गठन किया गया है :–

| | |
|---|---|
| 1–मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 3–जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| 4–जिला कार्यक्रम अधिकारी | सदस्य |
| 5–जिला पूर्ति अधिकारी | सदस्य |
| 6–मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 7–समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 8–जिला विकास अधिकारी | सदस्य |
| 9–परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 | सदस्य |
| 10–जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 11–जिला पंचायत राज अधिकारी | सदस्य |
| 12–संबंधित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी | सदस्य |
| 13–भारतीय खाद्य निगम/उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी | सदस्य |

4– अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0 977/79–6–2012 दिनांक 22.08.2012 द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर, जालौन, बांदा, श्रावस्ती, गोण्डा, बदायूं एवं आजमगढ़ में अवशेष खाद्यान्न के सामायोजन/वसूली हेतु आदेश जारी किये गये थे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है, उक्त आदेशों के उपरान्त भी मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की वसूली पूर्णरूप से अद्यतन नहीं की जा रही हैं।

GO RP

5– योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन तैयार किये जाने हेतु खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) तथा परिवर्तन लागत (मध्यान्ह भोजन तैयार किये जाने हेतु दी जाने वाली धनराशि ) विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का लेखा–जोखा रखे जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–13242–312/2007–08 दिनांक 06–11–07 द्वारा मध्यान्ह भोजन पंजिका रखे जाने की व्यवस्था की गयी । उक्त पंजिका में विद्यालय स्तर पर योजना से प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या तथा वितरित होने वाले मध्यान्ह भोजन का विवरण अंकित किया जाता है । मध्यान्ह भोजन पंजिका में अंकित विवरण के आधार पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग प्राप्त होता है इसके आधार पर जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय हेतु उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात होती है ।

6– उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व कार्यदायी एजेन्सियों के स्तर पर अवशेष खाद्यान्न की वसूली हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करायें :–

(1)– पूर्व कार्यदायी एजेन्सियों के स्तर पर अवशेष खाद्यान्न की वसूली वर्तमान बाजार मूल्य पर किये जाने का निर्णय लिया गया। खाद्यान्न के वर्तमान बाजार मूल्य को खाद्यान्न विपणन संस्थाओं/भारतीय खाद्य निगम से ज्ञात किया जा सकता है। भविष्य में इस प्रकार की वसूली की कार्यवाही की स्थिति में तत्समय लागू बाजार मूल्य पर वसूली की जायेगी।

(2)–समस्त अवशेष खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की वसूली धनराशि के रूप में कर कोषागार के प्राप्ति हेतु संख्या–**"0202–01–800–01 अन्य प्राप्तियां"** में जमा करायी जाय। पूर्व में यदि किसी जनपद में वसूली की धनराशि किसी अन्य खाते में रखी गयी हो, तो उसे भी कोषागार में जमा करा दिया जाय। अवशेष खाद्यान्न की शत–प्रतिशत वसूली संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधानों से की जाय, परन्तु अवशेष परिवर्तन लागत की वसूली संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान, एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से आधी–आधी मात्रा में की जाय। संबंधित ग्राम प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सचिवों, जिनसे अवशेष खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की वसूली अपेक्षित है, की सूची वसूली की धनराशि के विवरण सहित जनपदों से प्राप्त कर प्राधिकरण स्तर पर सुरक्षित रखी जाय। गबन के कृत्य हेतु दोषी ग्राम प्रधानों/ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही के साथ–साथ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाय। गबन हेतु उत्तरदायी ग्राम प्रधानों की सूचना राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जाय ताकि आगामी चुनावों में उनके एवं उनके परिवारजनों द्वारा उम्मीदवारी प्रस्तुत करने की दशा में उनकी अर्हता/अनर्हता के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सके। इसके अतिरिक्त गबन हेतु उत्तरदायी ग्राम प्रधानों की सूची जनपद स्तर पर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जाय।

(3)–पूर्व कार्यदायी संस्थाओं के स्तर पर अधिक मात्रा में अवशेष खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की वसूली प्रकियाधीन होने के कारण जिन जनपदों में खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की कमी की सूचना प्राप्त होती है, उन जनपदों में भ्रमण कर अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की कमी के कारण बच्चों को भोजन का वितरण सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा वास्तविक रूप में योजना के उक्त कारणों से दुष्प्रभावित होने की स्थिति में जनपद से प्रमाणक प्राप्त कर कठिनाई निवारण हेतु विस्तृत प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जाय।

7– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भूत कार्यदायी एजेन्सियों के स्तर पर अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत हेतु प्रस्तर–5 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर गत वर्षों के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस सम्बन्ध में संबंधित कार्यदायी संस्था को अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन किए जाने हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नोटिस देगा तथा नोटिस में यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि इस संबंध में यदि संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पक्ष में कोई तथ्य प्रस्तुत करना है तो एक सप्ताह में अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि उक्त समयावधि में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित रूप से साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की वसूली संबंधित कार्यदायी संस्था से भू–राजस्व के बकाये की भाँति किये जाने हेतु स्पष्ट मार्ग–पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावानुसार

GO RP

स्तरों पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही बाधित होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के क्रम में आवश्यकतानुसार वसूली की कार्यवाही भू–राजस्व के बकाए की भांति सम्पादित की जायेगी, ताकि अभीष्ट समायोजन किया जा सके और योजना का कियान्वयन सुगम हो सके ।

**संलग्नकः यथोक्त।**

भवदीय,

(नीतीश्वर कुमार)
सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा),उ0प्र0 ।
5– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

7.XI.13

(अमर नाथ वर्मा)
विशेष सचिव।

GO RP

| क्र0सं0 | जनपद | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी वसूली की जानी है। | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य | ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वसूली की जानी है। | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) की संख्या | एफ0 आई0आर0 की संख्या | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा का मूल्य | कॉलम–3 के सापेक्ष अद्यतन वसूल किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा | % | जारी किये गये वसूली आदेशों के विरूद्ध मा0 न्यायालय मे योजित वादों की संख्या | मा0 न्यायालय मे योजित वादों के सापेक्ष अद्यतन कृत कार्यवाही की स्थिति | अन्य टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3A | 4 | 5 | 5A | 6 | 6A | 7 | 8=7*100/3 | 8A | 8B | 9 |
| 22 | SAHARANPUR | 136.88 | | | | | | | 10.36 | 7.57 | 0 | | जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदनानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र सं0 मिड डे मील 15728–16504 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा पूर्व प्रधानो को रिकवरी हेतु नोटिस जारी किये गये है। |
| 23 | SHRAWASTI | 831.66 | 128.82 | 244 | 244 | 5 | 831.66 | 128.82 | 30.84 | 3.71 | 47 | 25 वादों का निस्तारण किया गया है। शेष 22 वादों का निस्तारण कराया जा रहा है। | |
| 24 | SULTANPUR | [illegible] | 144.18 | 689 | [illegible] | 0 | 239.76 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| TOTAL | | 27556.13 | 679.23 | 9291 | 2426 | 5 | 11339.72 | 548.56 | 1610.76 | 5.85 | 84 | | |

# शासनादेश संख्याः 978/79–6–2011–1(6)2000टी0सी0vii के अनुक्रम में खाद्यान्न वसूली सम्बन्धी सूचना

## ऐसे जनपद जहां रिकवरी की जानी है। (कुल–24)

| | | | | | | | | | | | | | मात्रा मी0टन में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | जनपद | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी वसूली की जानी है। | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य | ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वसूली की जानी है। | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) की संख्या | एफ0 आई0आर0 की संख्या | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा का मूल्य | कॉलम–3 के सापेक्ष अद्यतन वसूल किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा | % | जारी किये गये वसूली आदेशों के विरूद्ध मा0 न्यायालय मे योजित वादों की संख्या | मा0 न्यायालय मे योजित वादों के सापेक्ष अद्यतन कृत कार्यवाही की स्थिति | अन्य टिप्पणी |
| 1 | 2 | 3 | 3A | 4 | 5 | 5A | 6 | 6A | 7 | 8=7*100/3 | 8A | 8B | 9 |
| 1 | AMBEDKAR NAGAR | 4155.89 | 279.77 | 990 | 990 | 0 | 4155.89 | 279.77 | 22.00 | 0.53 | 0 | | आर0सी0 जारी करवाकर वसूली की कार्यवाही करायी जा रही है। |
| 2 | AURAIYA | 61.87 | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | मुख्य विकास अधिकारी औरैया के द्वारा अपने पत्र संख्या एम0डी0एम0/3025–27/2012–13/दिनांक 27.06.2012 के द्वारा निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0, लखनऊ से सात बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश चाहे गये हैं। अपेक्षित निर्देश प्राप्त न होने के कारण जनपद में रिकवरी की कार्यवाही लम्बित है। |
| 3 | AZAMGARH | 1682.45 | | 942 | 49 | | 271.48 | | 10.54 | 0.63 | 0 | | सम्बन्धित प्रधानों के विरूद्ध आर0सी0 जारी करने हेतु प्रस्तुत पत्रावली के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रधानों के साथ ही सचिवों के विरूद्ध भी आर0सी0 जारी की जाय, जिसके अनुक्रम में सम्बन्धित सचिवों को विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ से लिखित रूप से मांगा गया है जो अद्यतन अपेक्षित है। |
| 4 | BALLIA | 391.63 | | 109 | 3 | | 11.13 | | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 5 | BANDA | 4384.90 | | 353 | 72 | | 1091.90 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6 | BUDAUN | 924.60 | 126.46 | 130 | 130 | 0 | 924.60 | 126.46 | 200.00 | 21.63 | 36 | | आर0सी0 के सापेक्ष जनपद के अधिकतर पूर्व ग्राम प्रधानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की गयी हैं जिनमें से कतिपय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है शेष में कार्यवाही गतिमान है। |
| 7 | CHANDAULI | 1020.87 | | 377 | 377 | | 1020.87 | | 80.36 | 7.87 | 0 | | जिलाधिकारी के पत्रांक/एम0डी0एम0/1842–48/2012–13 दिनांक 04.08.2012 द्वारा कुल 388 प्रधानों के विरूद्ध आ0सी0 करने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), चन्दौली को सूची प्रेषित की गयी है। जिसके विरू0 कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल की गयी, जिसमें कुलल 76 ग्राम प्रधानों की जिलाधिकारी महोदय के सुनवाई के उपरान्त |
| 8 | CHITRAKOOT | 90.59 | | 224 | 0 | | 0.00 | | 86.47 | 95.45 | | | ग्राम प्रधान के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। |
| 9 | DEORIA | 442.00 | | 1931 | | | | | | | 0 | | |
| 10 | ETAH | 153.00 | 0.00 | 385 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 16.34 | 0 | - | |
| 11 | ETAWAH | 54.50 | | 112 | 112 | | 54.50 | | 49.50 | 90.83 | 0 | | Due to death of pradhans rest foodgrain cant be recover. |
| 12 | FAIZABAD | 101.72 | | 148 | 1 | 0 | 1.34 | | 1.34 | 1.32 | 0 | | पूर्व का अवशेष खाद्यान्न पुराने ग्राम प्रधानों से नवीन ग्राम प्रधानों को प्राप्त कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। |

| क्र0सं0 | जनपद | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी वसूली की जानी है। | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य | ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वसूली की जानी है। | जारी किये गये वसूली आदेशों, (आर0सी0) की संख्या | एफ0 आई0आर0 की संख्या | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा का मूल्य | कॉलम–3 के सापेक्ष अद्यतन वसूल किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा | % | जारी किये गये वसूली आदेशों के विरूद्ध मा0 न्यायालय मे योजित वादों की संख्या | मा0 न्यायालय मे योजित वादों के सापेक्ष अद्यतन कृत कार्यवाही की स्थिति | अन्य टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3A | 4 | 5 | 5A | 6 | 6A | 7 | 8=7*100/3 | 8A | 8B | 9 |
| 22 | SAHARANPUR | 136.88 | | | | | | | 10.36 | 7.57 | 0 | | जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदनानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र सं0 मिड डे मील 15728–16504 दिनांक 06.02.2013 के द्वारा पूर्व प्रधानो को रिकवरी हेतु नोटिस जारी किये गये है। |
| 23 | SHRAWASTI | 831.66 | 128.82 | 244 | 244 | 5 | 831.66 | 128.82 | 30.84 | 3.71 | 47 | 25 वादों का निस्तारण किया गया है। शेष 22 वादों का निस्तारण कराया जा रहा है। | |
| 24 | SULTANPUR | 25[illegible]78 | 144.18 | 689 | [illegible] | 0 | 239.76 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| | TOTAL | 27556.13 | 679.23 | 9291 | 2426 | 5 | 11339.72 | 548.56 | 1610.76 | 5.85 | 84 | | |

| क्र0सं0 | जनपद | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा जिसकी वसूली की जानी है | ग्रामप्रधानों के पास खाद्यान्न की अवशेष मात्रा का मूल्य | ग्रामप्रधानों की संख्या जिनसे खाद्यान्न की वसूली की जानी है। | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) की संख्या | एफ0आई0आर0 की संख्या | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा | जारी किये गये वसूली आदेशों (आर0सी0) में खाद्यान्न की कुल मात्रा का मूल्य | कॉलम–3 के सापेक्ष अद्यतन वसूल किये गये खाद्यान्न की कुल मात्रा | % | जारी किये गये वसूली आदेशों के विरूद्ध मा0 न्यायालय मे योजित वादों की संख्या | मा0 न्यायालय मे योजित वादों के सापेक्ष अद्यतन कृत कार्यवाही की स्थिति | अन्य टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **3A** | **4** | **5** | **5A** | **6** | **6A** | **7** | **8=7*100/3** | **8A** | **8B** | **9** |
| 13 | **GONDA** | **1275.15** | | 275 | **275** | | 1171.16 | | 783.69 | **61.46** | **0** | **समस्त वादों का निस्तारण किया गया है।** | |
| 14 | **HAMIRPUR** | **800.66** | | 223 | **0** | | 0.00 | | 0.00 | **0.00** | | | खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से वसूली की कार्यवाही गतिमान हैं |
| 15 | **HATHRAS** | **10.97** | **0.00** | 3 | **3** | **0** | 10.97 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **1** | **C.A. File** | |
| 16 | **JALAUN** | **2950.93** | | 417 | **0** | | 0.00 | | 0.00 | **0.00** | **0** | | प्राधिकरण से रिसीट हेड प्राप्त न होने की स्थिति में वसूली आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं। जिलाधिकारी द्वारा 359 ग्राम प्रधानों की रिकवरी हेतु सूची अनुमोदित कर दी गयी है। रिकवरी की वसूली आदेशों के सम्बन्ध में खाद्यान्न मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु रिसीट हेड प्राप्ति के सम्बन्ध में प्राधिकरण को अनुरोध पत्र द्वितीय प्रेषित किया गया है। |
| 17 | **KAASGANJ** | **1869.89** | **0.00** | 387 | **0** | **0** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0** | - | |
| 18 | **KANPUR NAGAR** | **752.[illegible]** | | 461 | **0** | | | | 256.72 | **34.12** | **0** | | शासनादेश के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 25.07.2012 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूर्व प्रधानों एवं प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित करते हुये अभिलेखों का मिलान कर लिया जाये एवं वास्तविक अवशेष खाद्यान्न की मात्रा आकलित करते हुये तत्काल विद्यालय के प्र0अ0 को हस्तगत करा दी जाये। उक्त के अनुपालन में अवशेष खाद्यान्न की वसूली की कार्यवाही करायी |
| 19 | **LALITPUR** | **277.74** | | 297 | **0** | | 225.68 | | 53.94 | **19.46** | **0** | | जिलाधिकारी के टीप आदेश दिनांक 05.03.2012 के क्रम में 139 पूर्व ग्राम प्रधानों के विरुद्व एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। जिसके क्रम में अभी तक 53.94 मी0टन खाद्यान्न जिसका मूल्य रू0 67.029 लाख है, की वसूली की जा चुकी है। |
| 20 | **MAHOBA** | **1328.78** | | 151 | **151** | | 1328.78 | | 0.00 | **0.00** | | | जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार खाद्यान्न के मूल्य की वसूली की जा रही है अब तक कुल धनराशि रू0 22 लाख की वसूली की जा चुकी है। |
| 21 | **PILIBHIT** | **1296.80** | **0.00** | 443 | **0** | **0** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0** | | 443 ग्राम पचायतों के ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किये गये हैं। तत्क्रम में समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को ग्राम प्रधानों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदनों का परीक्षणोपरान्त संबंधित ग्राम प्रधानों को अन्तिम नोटिस जारी करते हुए आर0सी0 जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। |